अनुदान संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग
GRANT No. 30 - DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	14715,53,00		46569,72,00	43923,51,71	-2646,20,29
पूरक	Supplementary	31854,19,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2649,02,18
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	69915,28,00		70962,60,00	11022,47,75	-59940,12,25
पूरक	Supplementary	1047,32,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					55625,63,20

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹264902.18 लाख), ₹264620.29 लाख की कुल बचतों से अधिक थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः –

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (₹264902.18 lakhs) exceeded the overall savings of ₹264620.29 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय– सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	22266.00	20038.90	19440.82	-598.08
पु.	R.	-2227.10			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	5222.00	4475.20	4344.46	-130.74
पु.	R.	-746.80			
मुख्य शीर्ष "2416"	Major Head "2416"				
कृषि वित्तीय संस्थाएं	Agricultural Financial Institutions				
मू.	O.	13920.00	7843.56	7843.55	-0.01
पु.	R.	-6076.44			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	944713.00			
पू.	S.	2110419.00	2955640.36	2956662.90	-1022.54
पु.	R.	-99491.64			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3605"	Major Head "3605"				
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	Technical and Economic Co-operation with other countries				
मू.	O.	395434.00	239736.78	239735.87	-0.91
पु.	R.	-155697.22			

(I) ₹3675.00 लाख का प्रावधान सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹3653.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹3675.00 lakhs remained wholly unutilized under sixteen heads; of these ₹3653.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – जी–20 भारत अध्यक्षता 2022" – ₹600.00 लाख जी–20 भारत अध्यक्षता के पूरा होने के कारण थे।

(A) Major Head "2052" - "Secretariat - G-20 India Presidency 2022" - ₹600.00 lakhs - due to completion of G-20 India Presidency.

(खा) मुख्य शीर्ष "3475" – "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" –

(B) Major Head "3475" - "International Co-operation" -

(क) "राष्ट्रमंडल तकनीकी सहयोग कोष में योगदान" – ₹2053.00 लाख विदेश मंत्रालय के निर्देशानुसार राष्ट्रमंडल तकनीकी सहयोग कोष में योगदान न करने के कारण।

(a) "Contribution to Commonwealth Fund for Technical Cooperation" - ₹2053.00 lakhs - due to non-contribution to Commonwealth Fund for Technical Co-operation as per directions of Ministry of External Affairs.

(ख) "अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग"– ₹1000.00 लाख टीसीए समझौते के तहत पहले जारी की गई किस्त, जो अगले भुगतान की शर्तों में से एक है, पहले जारी की गई प्रथम किस्त का 75 प्रतिशत का उपयोग न होने की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण।

(b) "Technical Co-operation with African Development Bank" - ₹1000.00 lakhs - due to non-release of funds owing to non-utilization of 75% of 1st installment released earlier, under TCA agreement, which is one of the conditions for the next payment.

(II) मुख्य शीर्ष "3475" – "बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता – बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता– व्यवहार्यता अंतर निधियन" के अंतर्गत ₹49000.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसंबर, 2024 में ₹110419.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹159419.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹118319.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) योजना मांग आधारित होने की वजह से परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3475" - "Financial Support for Infrastructure Development - Assistance for Infrastructure Development-Viability Gap Funding" - the original provision of ₹49000.00 lakhs was augmented to ₹159419.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹110419.00 lakhs in December, 2024. However, there was a saving of ₹118319.00 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of demand from project sponsoring authorities, scheme being demand driven.

(III) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – आर्थिक कार्य विभाग" के अंतर्गत ₹1805.73 लाख की बचत (₹20957.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, पेशेवरों/परामर्शदाताओं के देरी से कार्यभार ग्रहण करने, किराए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Economic Affairs" - saving of ₹1805.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20957.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, late joining of professionals/consultants, requirement of less funds towards rent, medical reimbursements and tours undertaken.

(IV) मुख्य शीर्ष "2070" – "विशेष जांच आयोग – सोलहवां वित्त आयोग" के अंतर्गत ₹578.57 लाख की बचत (₹3535.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, आयोग के एक अतिरिक्त तल की मरम्मत और नवीनीकरण के प्रस्ताव को स्थगित करने तथा छुट्टी यात्रा रियायत और प्रशिक्षण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2070" - "Special Commission of Enquiry - Sixteenth Finance Commission" - saving of ₹578.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3535.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, deferment of proposal of repair and renovation of one additional floor of the commission and requirement of less funds towards leave travel concession and trainings.

(V) मुख्य शीर्ष "2416" – "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) में योगदान" के अंतर्गत ₹6076.45 लाख की बचत (₹13920.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोष में कम योगदान किए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2416" - "International Co-operation - Contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD)" - saving of ₹6076.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13920.00 lakhs) was due to lesser contribution to the fund.

(VI) मुख्य शीर्ष "3475" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(VI) Under Major Head "3475" - savings occurred under the following heads: -

(का) "बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता"–

(A) "Financial Support for Infrastructure Development" -

(क) "भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि

(a) "India Infrastructure Project Development

(आईआईपीडीएफ)" – ₹2276.28 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा वितरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने की वजह से निधियों जारी न किए जाने के कारण हुई।

Fund (IIPDF)" - saving of ₹2276.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to non-release of funds owing to non-achievement of milestones by Project Sponsoring Authorities for disbursal.

(ख) "केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण" – ₹821.50 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन और ई–पाठ्यक्रम की तैयारी की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण हुई।

(b) "Training for Capacity Building in Central government, State governments, PSEs, Autonomous bodies/Institutions"- saving of ₹821.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to conduction of less training programmes and non-completion of process of preparation of e-courses.

(खा) "स्वायत्त निकायों को सहायता – अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए)" – ₹10874.34 लाख की बचत (₹15723.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फिनटेक प्रोत्साहन योजना और सुपटेक परियोजना के पूरा न होने, आईटी अवसंरचना और आईएफएससीए की स्थिति के लिए कार्यक्रमों/सम्मेलनों के आयोजन में कम खर्च होने के कारण हुई।

(B) "Assistance to Autonomous Bodies - International Financial Services Centres Authority (IFSCA)" - saving of ₹10874.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15723.00 lakhs) was due to non-completion of Fintech Incentive scheme and Suptech Project, lower expenses in IT Infrastructure and organization of events/conferences for positioning of IFSCA.

(VII) मुख्य शीर्ष "3605" – "अन्य देशों के साथ सहयोग– भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के अंतर्गत ऋण सहायता के लिए ब्याज समकरण सहायता" के अंतर्गत ₹155982.00 लाख की बचत (₹384900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंद्रहवें वित्त चक्र के लिए आईडीईए योजना के लिए कैबिनेट द्वारा निर्धारित वित्तीय अधिकतम सीमा को बनाए रखने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "3605" - "Co-operation with other countries - Interest Equalization Support for Lines of Credit under Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS)" - saving of ₹155982.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹384900.00 lakhs) was due to maintaining the financial ceilings determined by the cabinet for IDEA Scheme for XVth Finance cycle.

(VIII) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1259.83 लाख की बचत हुई, जिसमें से प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत से 51 प्रतिशत तक थी।

(VIII) Under four heads savings of ₹1259.83 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 18 percent to 51 percent of the sanctioned provision.

2 (I). उपर्युक्त बचतें (₹35552.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मार्च, 2025 में मुख्य शीर्ष "3475" के अंतर्गत

2(I). The above savings were partly (₹35552.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament

निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹2000000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) "स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 के लिए कमीशन – कमीशन भुगतान" – ₹9399.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹11722.94 लाख था।

(खा) "आरक्षित निधियों/जमा खातों में अंतरण – स्वर्ण आरक्षित निधि" – ₹26153.00 लाख।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3605" – "अन्य देशों के साथ सहयोग – भारत–जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं। ₹600.00 लाख का अधिक व्यय (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ड्यूश गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनार्बेट (जीआईजेड) को जीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचत (₹5994012.25 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹104732.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 84 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ: –

while obtaining supplementary grant of ₹2000000.00 lakhs in March, 2025 under Major Head "3475" under the following heads:-

(A) "Commission for Gold Monetisation Scheme, 2015 - Commission Payment" - ₹9399.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹11722.94 lakhs.

(B) "Transfer to Reserve Funds/Deposit Accounts - Gold Reserve Fund" - ₹26153.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3605" - "Co-operation with other countries - Indo-German Bilateral Development Cooperation" - excess of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to requirement of more funds towards GST reimbursement to Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹5994012.25 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹104732.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and constituted 84 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष "4046"	Major Head "4046"				
मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint				
मू.	O.	256800.00			
पू.	S.	104728.00	337992.70	819070.89	+481078.19
पु.	R.	-23535.30			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5465"	Major Head "5465"				
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	Investments in General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	300000.00			
पू.	S.	1.00	213779.36	213779.36	..
पु.	R.	-86221.64			
मुख्य शीर्ष "5466"	Major Head "5466"				
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	Investment in International Financial Institutions				
मू.	O.	140651.00			
पू.	S.	1.00	42390.00	40358.56	-2031.44
पु.	R.	-98262.00			
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ पर पूंजीगत परिवयय	Capital Outley on other General Economic Services				
मू.	O.	6260288.00			
पू.	S.	1.00	907455.00	625.90	-906829.10
पु.	R.	-5352834.00			
मुख्य शीर्ष "7465"	Major Head "7465"				
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं को ऋण	Loans for General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	3595.00			
			3045.72	3045.70	-0.02
पु.	R.	- 549.28			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "7610"	Major Head "7610"				
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	Loans to Government Servants etc.				
मू.	O.	22500.00	19601.79	17955.96	-1645.83
पु.	R.	-2898.21			

(I) ₹6409295.00 लाख का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹6409289.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹6409295.00 lakhs remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹6409289.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "5465" – "सामान्य वित्तीय संस्थानों में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश – एनआईआईएफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म में पूंजी निवेश"– ₹50000.00 लाख फंड जुटाने को अंतिम रूप न दिए जाने और असीम और एनआईआईएफ आईएफएल में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव के कारण।

(A) Major Head "5465" - "Investments in General Financial Institutions - Investments in Public Sector and Other Undertakings, Banks, etc. - Capital infusion into NIIF Infrastructure Debt Financing Platform"- ₹50000.00 lakhs - due to non-finalisation of fund raise and proposed sell off of stake in Aseem and NIIF IFL.

(खा) मुख्य शीर्ष "5466" – "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष – मूल्य रखरखाव (एमओवी) दायित्व" – ₹100001.00 लाख मुद्रा पुनर्मूल्यांकन की व्याख्या में भिन्नता की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मूल्य लेनदेन के रखरखाव के लिए निधियों जारी न करने के कारण।

(B) Major Head "5466" - "International Monetary Fund - Maintenance of Value (MOV) obligation" - ₹100001.00 lakhs - due to non-release of funds for maintenance of value transaction of International Monetary Fund owing to difference in interpretation of currency revaluation.

(गा) मुख्य शीर्ष "5475" – "अन्य व्यय – नई योजनाएं"– ₹6259288.00 लाख अनुदानों की पूरक मांगों के माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए विभिन्न विभागों/मंत्रालयों को निधियों के आवंटन के कारण।

(C) Major Head "5475" - "Other Expenditure - New Schemes" - ₹6259288.00 lakhs - due to allocation of funds to various Departments/Ministries for additional capital expenditure on infrastructure projects through supplementary demands for grants.

(II) मुख्य शीर्ष "4046" – "सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से सिक्कों की खरीद

(II) Under Major Head "4046" - "Purchase of Coins from Security Printing & Minting Corporation

– सिक्के" के अंतर्गत ₹23535.31 लाख की बचत (₹103800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिक्कों के उचित विक्रय मूल्य (एफएसपी) को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

of India Limited - Coins" - saving of ₹23535.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹103800.00 lakhs) was due to non-finalisation of Fair Selling Price (FSP) of coins.

(III) मुख्य शीर्ष "5465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश – राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि में निवेश" – ₹67326.28 लाख की बचत (₹149999.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना से संबंधित कुछ अनुमोदनों में देरी की वजह से निवेश के कम कार्यान्वयन के कारण हुई।

(III) Under Major Head "5465" - "Investments in General Financial Institutions - Investments in Public Sector and Other Undertakings, Banks, etc. - Investment into National Investment and Infrastructure Fund" - saving of ₹67326.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹149999.00 lakhs) was due to less materialisation of investments owing to delay in some of the project related approvals.

(IV) मुख्य शीर्ष "7465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाएं – एशियाई विकास बैंक को ऋण संख्या 1871–आईएनडी निजी क्षेत्र अवसंरचना सुविधा II अवसंरचना पट्टे और वित्तीय सेवाएं की चुकौती" के अंतर्गत ₹545.33 लाख की बचत (₹3300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) घटी हुई मूल राशि पर ब्याज दर में कमी के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "7465" - "General Financial Institutions - Repayment of Loan No. 1871-IND Private sector Infrastructure Facility II Infrastructure Leasing and Financial Services to Asian Development Bank" - saving of ₹545.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3300.00 lakhs) was due to decrease in interest rate on reduced principal amount.

(V) मुख्य शीर्ष "7610" के अंतर्गत –

(V) Under Major Head "7610" -

(का) "भवन निर्माण अग्रिम – मंत्रालय और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" – ₹3121.41 लाख की बचत (₹16500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से ऋण वितरण के लिए कम आवेदन प्राप्त होने और प्रशासनिक कारणों की वजह से हुई।

(A) "House Building Advances - Ministries & Union Territory Administrations" - saving of ₹3121.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16500.00 lakhs) was due to receipt of less applications for disbursal of loans and administrative reasons in various Ministries/Departments.

(खा) "कम्प्यूटर खरीद के लिए अग्रिम – कम्प्यूटर और अन्य बाह्य उपकरणों आदि की खरीद के लिए अग्रिम" – ₹1399.63 लाख की बचत (₹5976.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ऋण वितरण के लिए कम आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Advances for purchase of Computers - Advances for purchase of Computers and other peripherals etc." - saving of ₹1399.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5976.00 lakhs) was due to receipt of less applications for disbursal of loans.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹375.10 लाख की बचत हुई जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत है।

(VI) Under one head saving of ₹375.10 lakhs occurred constituting 37 percent of the total sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचत (₹31106.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि मुख्य शीर्ष "5465" – "सामान्य वित्तीय संस्थानों में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश – किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹31105.64 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "4046" – "सोने की खरीद– स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं। ₹481078.20 लाख का अधिक व्यय (₹104728.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹257728.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सोने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि होने की वजह से स्वर्ण जमा में वृद्धि होने के कारण हुई।

5- *निर्भया निधि :–*

2013 – 14 में 'निर्भया निधि' की स्थापना ऐसे उपायों/अंतःक्षेपों के वित्त पोषण के लिए उपयोग किए जाने हेतु की गई थी जो महिलाओं की हिफ़ाजत और सुरक्षा को संवर्धित करते हैं और काफ़ी लंबे समय से कायम हैं और प्रभावी हैं। इस निधि का प्रयोजन भारत सरकार की विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा बालिकाओं और महिलाओं की हिफ़ाजत और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उन्हें सशक्त बनाने के लिए की जा रही विभिन्न पहलों को वित्त पोषण करना है। इन निधियों को बजट प्रावधानों के अनुसार भारत की समेकित निधियों से राजस्व व्यय शीर्ष से अंतरित किया जायेगा। 'निर्भया निधि को अंतरण' के लिए बजट आवंटन संबंधित अनुदान मांगों से किया जायेगा जहां व्यय आवंटन किया जाता है।

वर्ष 2024–25 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:–

4.(I) The above savings were partly (₹31106.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "5465" - "Investments in General Financial Institutions - Investments in Public Sector and Other Undertakings, Banks, etc. - Special Window for Affordable and Middle-Income Housing" - ₹31106.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹31105.64 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4046" - "Purchase of Gold - Gold Monetization Scheme 2015" - excess of ₹481078.20 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹257728.00 lakhs including supplementary grant of ₹104728.00 lakhs) was due to increase in gold deposits owing to considerable increase in rate of Gold.

5. *Nirbhaya Fund: -*

The 'Nirbhaya Fund' was established during 2013-14 to be used to fund those enduring measures/interventions which substantially enhance the safety and security of women and are sustainable and effective over a long period of time. The purpose of the fund is to finance various initiatives taken by different Ministries/Departments of the Government towards empowering girl children and women ensuring their safety and security. Funds will be transferred as per budget provisions from the Revenue Expenditure head from the Consolidated Fund of India. The budgetary allocations for 'Transfer to the Nirbhaya Fund' will be made from the respective Demands for Grants where expenditure allocations are made.

The Account of the Fund for 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	2735,26,91
प्राप्तियां	Receipts	616,27,00
अदायगियां	Payments	384,83,50
अंत शेष	Closing Balance	2966,70,41

6- *राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधिः*

'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि' की स्थापना स्वच्छ ऊर्जा आदि में अनुसंधान से संबंधित विभिन्न नई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए की गई थी। 'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि' के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत में उत्पादित कोयले पर ऊर्जा उपकर नामक लेवी लगाने का प्रस्ताव किया गया था। इसे राजपत्र संख्या 06/20 – स्वच्छ ऊर्जा उपकर दिनांक 22.6.2010 के तहत राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। स्वच्छ ऊर्जा उपकर की प्रस्तावित लेवी कर राजस्व के रूप में संग्रहीत की जानी है और इस प्रकार सृजित निधियों को आरक्षित निधि में अंतरित किया जायेगा। चिह्नित योजनाओं/नई परियोजनाओ पर व्यय का प्रावधान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों में कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत किया जायेगा। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से वसूलियां उसी कार्यात्मक व्यय शीर्ष से की जाएगीं ताकि योजना पर व्यय और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से वसूली का मिलान हो सके।

वर्ष 2024–25 के लिए इन निधियों का लेखा–जोखा इस प्रकार थाः–

6. ***National Clean Energy Fund: -***

The 'National Clean Energy Fund' was established to finance various new projects relating to researches in Clean Energy etc. In order to meet the objectives of 'National Clean Energy Fund' a levy called Energy Cess on coal produced in India was proposed. This was notified in Gazette Notification No. 06-2010 - Clean Energy Cess, Dt. 22.06.2010. The proposed levy of Clean Energy Cess is to be collected in the form of Tax Revenue and the funds so generated will be transferred to Reserve Fund. The provision for expenditure on identified schemes/new projects will be made in Demand for Grants of different Ministries/Departments under the functional Major Heads. The recoveries from the National Clean Energy Fund will also be made under the same functional expenditure head so the expenditure on the schemes and recovery from National Clean Energy Fund get matched.

The Account of the Fund for 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	शून्य NIL
प्राप्तियां	Receipts	शून्य NIL
अदायगियां	Payments	शून्य NIL
अंत शेष	Closing Balance	शून्य NIL

7- *गारंटी उन्मोचन निधिः*

इस निधि की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों आदि को दी गई गारंटी, जब भी ऐसी गारंटी की मांग हो, के उन्मोचन के लिए किया गया था। इस निधि का वित्त पोषण वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक आवंटन से किया जाता है। जब गारंटियों की मांग की जाती है, इस प्रकार का व्यय संबंधित अनुदान के संबंधित ऋण शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है और निधि से वसूली कटौती प्रविष्टि के रूप में ऋण शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध की जायेगी।

वर्ष 2024–25 के लिए इस निधि क लेखा–जोखा इस प्रकार थाः–

7. *Guarantee Redemption Fund: -*

The fund was constituted for redemption of Guarantees given by the Union Government to Central Public Sector Undertakings, Financial Institutions etc., whenever such guarantees are invoked. The fund is fed by annual allocation to be made by Ministry of Finance. When the Guarantees are invoked, such expenditure may be shown under the concerned loan head of respective grant and recovery from the fund will also be accounted for under the loan head as deduct entry.

The Account of the Fund for 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	9442,68,96
प्राप्तियां	Receipts	14383,40,00
अदायगियां	Payments	3438,73,26
अंत शेष	Closing Balance	20387,35,70

8- *कृषि अवसंरचना और विकास निधिः–*

इस निधि का गठन वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया था। वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 124(1) में कृषि और अन्य विकास व्यय के वित्त पोषण के प्रयोजनार्थ भारत में आयातित वस्तुओं पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर नामक लेवी और सीमा शुल्क संग्रह करने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार इस अधिनियम की धारा 125(1) में इसी प्रयोजन के लिए निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर नामक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के लेवी संग्रहण का प्रावधान है।

8. *Agriculture Infrastructure and Development Fund: -*

This fund was created by the Union Government of India during Financial Year 2023-24. The Section 124(1) of the Finance Act, 2021 provides for levy and collection of a duty of Customs to be called Agriculture Infrastructure and Development Cess on the goods imported into India for the purposes of financing the agriculture and other development expenditure. Similarly, Section 125(1) of the Act ibid provides for levy collection of additional duty of excise called Agriculture Infrastructure and Development Cess on the goods manufactured or produced for the same purpose.

व्यय विभाग ने अपने दिनांक 17.11.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 00(07)/पीएफ़सी–1/2020 के तहत निम्नानुसार एआईडीसी से प्राप्तियों का वितरण निर्धारित किया है:–

Department of Expenditure has vide its OM No. 00(07)/PFC-I/2020 dated 17.11.2021 prescribed distribution of receipt from AIDC in the following manner:-

क्रम संख्या **Sl. No.**	**मंत्रालय/विभाग का नाम** **Name of the Ministry/Department**	**आवंटन का प्रतिशत** **Allocation Percentage**
1	कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, कृषि और कृषक कल्याण विभाग Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare	80%
2	जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधान, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development Ganga Rejuvenation	10%
3	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग Ministry of Rural Development, Department of Land Resources	5%
4	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय Ministry of Food Processing Industries	5%

वर्ष 2024–25 के लिए इस निधि का लेखा–जोखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	21078,78,87
प्राप्तियां	Receipts	139768,31,67
अदायगियां	Payments	108647,30,58
अंत शेष	Closing Balance	52199,79,96